

उपेक्षति है आवश्यक पुलसि सुधार

चर्चा में क्यों?

भारत में पुलसि सुधारों की दशा में 'प्रकाश सहि बनाम भारत संघ मामला (2006)' मील का पत्थर है लेकिन इसके नरिदेशों को लागू करने में अभी भी राज्य सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल, देश में पुलसि-सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी शुरुआत है, जिसमें वधिआयोग, मलमिथ समति, पद्मनाभैया समति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सोली सोराबजी समति तथा सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाश सहि बनाम भारत संघ-2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए नरिदेशों में पुलसि-सुधारों हेतु कई सफिराशियाँ शामिल हैं। प्रकाश सहि बनाम भारत संघ-2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए नरिदेशों के लगभग 11 वर्ष बीतने के बावजूद हम इन नरिदेशों का पुरणतः अनुपालन नहीं कर पाए हैं।

भारत में पुलसि सुधारों की ज़रूरत क्यों?

- भारत में पुलसि के पास खुफिया आँकड़ों के एकत्रण एवं उनके विश्लेषण के लिये प्रभावी साधनों का अभाव है।
- राज्यों के अन्वेषण विभागों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है।
- कई शीर्ष अन्वेषण एजेंसियों एवं पुलसि विभागों में पदों की रक्तिरियाँ हैं।
- पुलसि को उपलब्ध हथियार और उपकरण पुराने, नमिन स्तरीय एवं अप्रचलति कसिम के हैं।
- पुलसि को न तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है और न ही तकनीकी ज्ञान की पर्याप्त जानकारी प्रदान की जा रही है, अतः वे तकनीकों का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
- विभिन्न पुलसि विभागों एवं जाँच एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है और पुलसि राजनीतिक हस्तक्षेप से पीड़ित है।

विभिन्न समतियों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए नरिदेश

- एक "स्टेट सिक्योरिटी कमीशन" का गठन हो, जिसका दायित्व, पुलसि को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।
- एक "पुलसि स्ट्रेबलशिमेंट बोर्ड" का भी गठन हो, जिससे कार्मिक मामलों में पुलसि को स्वायत्तता प्राप्त हो।
- एक "पुलसि शकियात प्रकोषट" का गठन हो, जो पुलसि के वरिद्ध गंभीर शकियातों की जाँच कर सके।
- डी.जी.पी. का कार्यकाल 2 साल सुनिश्चित करने के अलावा आई. जी. व अन्य पुलसि अधिकारियों का कार्यकाल भी सुनिश्चित किया जाए।
- राज्यों में पुलसि बल की संख्या बढ़ाने तथा पुलसि में महिला-कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाए।
- पुलसि की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फॉरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध करवाना होगा।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सन् 1861 के पुलसि एक्ट को समाप्त करके सोली सोराबजी समति द्वारा प्रारूपित 2006 के एक्ट को लागू किया जाए।

नषिकर्ष

- प्रकाश सहि बनाम भारत संघ-2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए नरिदेशों के बाद से आज लगभग 11 वर्ष बीत चुके हैं और यह दुर्भाग्यजनक है कि हम इन नरिदेशों का पुरणतः अनुपालन नहीं कर पाए हैं। एक ओर जहाँ हम पुलसि व्यवस्था को लोकोन्मुख बनाने में वफिल रहे हैं वहीं सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।
- यद्विष 2013 का लोकपाल कानून अमल में लाया गया होता तो आज सीबीआई की कार्यक्षमता और नषिठा को सवालों के घेरे से बाहर रखा जा सकता था। इस लोकपाल में सीबीआई के कार्यों की नगिरानी की शक्ति होती, जिससे क अदालत के बोझ को कम किया जा सकता था।
- लोकपाल कानून तो आरंभ से ही विभिन्न बदलावों का शकिकर रहा है, लेकिन प्रकाश सहि बनाम भारत संघ-2006 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए नरिदेश तो पूर्ण रूप में हमारे सामने हैं। अतः वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए पुलसि सुधार के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए नरिदेशों को लागू करना चाहिये ताकि भारतीय पुलसि भी विश्व स्तरीय बन सके।

